

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**पत्रांक-06 / EV (प्रोत्साहन राशि)-15-21 / 2024 ०६**

आवंटन क्रमांक--  
.....

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
वैशाली।

पटना, दिनांक- ०२/०१/२०२५

**विषय :-** विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- ०२ दिनांक- ०२/०१/२५ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में “बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” के लिए स्वीकृत कुल 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रु० मात्र की राशि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- ०२ दिनांक- ०२/०१/२५ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में “बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” के लिए स्वीकृत कुल 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रु० मात्र की राशि जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 से निम्न प्रकार की जायेगी:-

क्र०	योजना शीर्ष	जिला का नाम	राशि
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01-सब्सिडी	जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली	1,85,000/-

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा इस राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०२ दिनांक- ०२/०१/२५ में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे।
4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-एम-4-05 / 98-2561 वि (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।
5. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0-9172 दिनांक-05.12.2023 के आलोक में पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा।
6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या

अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों / पी० एल० खातों में नहीं रखी जायेगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**पत्रांक-06 / EV (प्रोत्साहन राशि)-15-21 / 2024**

आवंटन क्रमांक—  
.....

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,  
 वैशाली।

पटना, दिनांक—

**विषय :-** विभागीय स्वीकृत्यादेश सं- ०२ दिनांक-०२।०।।२५ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में “बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” के लिए स्वीकृत कुल 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रु० मात्र की राशि के आवंटन के संबंध में।  
**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं- ०२ दिनांक-०२।०।।२५ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में “बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” के लिए स्वीकृत कुल 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रु० मात्र की राशि जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 से निम्न प्रकार की जायेगी:-

क्र०	योजना शीर्ष	जिला का नाम	राशि
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सभिसडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01-सभिसडी	जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली	1,85,000/-

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा इस राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- ०२ दिनांक-०२।०।।२५ में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे।
4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं-एम-4-05 / 98-2561 वि (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।
5. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना सं-9172 दिनांक-05.12.2023 के आलोक में पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा।
6. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या

अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी0 एल0 खातों में नहीं रखी जायेगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,


ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

शापांक :— 06

पटना, दिनांक :— 02/01/2025

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार/जिला पदाधिकारी, वैशाली/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।